न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद
पीठासीन अधिकारी– बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस

पत्रावली संख्या– 132/005
दायर दिनांक– 14.10.2025
निर्णय दिनांक– 08.01.2026

अनवान

1– मोहनीबाई पिता मोडा पत्नि जालम जाति बैरवा निवासी ढीली, हाल भूपालसागर तहसील भूपाल सागर चितौडगढ़
2– प्यारीबाई पिता मोडा पत्नि भंवरलाल जाति जटिया निवासी ढीली, हाल करोली तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद
3– बदामी बाई पिता मोडा पत्नी मांगू जाति जटिया निवासी ढीली, हाल मोगाना तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद
4– सोसरबाई पिता मोडा पत्नि रूपा जाति जटिया निवासी ढीली, हाल मोगाना तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद

वादीगण

बनाम

1– सायरी पत्नि शंकरलाल जाति जटिया निवासी ढीली तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमंद

प्रतिवादीगण

वादः बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित
वादी की ओर से श्री मुकेशचन्द्र शर्मा, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से– अनुपस्थित

निर्णय

वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88,188 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम ढीली पटवार हल्का बनेडिया तहसील रेलमगरा के आराजी संख्या 1698, 1699, 1788, 1635,1631, 1632, 1636,1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1647, 1656, 1668, 1669, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, भूमि स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमिया वादीगण के पिता मोडाजी को उनके पिता हरजी से प्राप्त हुई है। वादीगण की वास्तविक जाति चमार है किन्तु उसके पश्चात वादीगण ने अपनी जाति में सुधार करते हुए बैरवा नाम राजस्व

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

स्तावेजो में अंकित करवाया है जिससे वह जका नाम से जाने जाते है। वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमिया पैतृक व सहदायिक संम्पत्तिया है जिससे वादीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है। वादीगण को उक्त कृषि भूमि हिन्दू संयुक्त अविभाजित परिवार के होने से उनका जन्म से अधिकार निहीत हो गया क्योकि वादग्रस्त कृषि भूमिया पैत्रिक संम्पतियां है। वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमियां वादीगण के दादा हरजी से उनके चारों पुत्रों क्रमशः देवा, खेमा, गिरधर, एवं मोडाजी को प्राप्त हुई तथा उनकी मृत्य के उपरान्त उक्त कृषि भूमि उनके विधिक वारिसानों को न्यायगत हुई, किन्तु वादीगण के पिता मोडा की मृत्यू के उपरान्त उक्त कृषि भूमिया वादीगण के भाई शंकर जी के नाम पर ही राजस्व अभिलेख में अंकित कर दी गई जबकि मोडा मृत्यु के समय वादीगण का जन्म हो चुका था जो कि मोडा की जायदा पुत्रिया है, किन्तु स्व शकर जी ने उक्त कृषि भूमिया केंवल मात्र उसके नाम पर अंकित करवा दी गई। वक्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अस्तित्व में आ चुका था जिससे स्व0 मोडा की मृत्यु के उपरान्त वादीगण के नाम भी वादगस्त कृषि भुमियों में अकिंत होना चाहिए था क्योकि वादीगण स्व0 मोडा की जायदा पुत्रिया होने से अनुसूची 01 की वारिसान है किन्तु तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवश वादीगण का नाम वादग्रस्त भूमि में अंकित नहीं हुआ, जिससे वादीगण की ओर से वादग्रस्त कृषि भूमि के संम्बध में खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही गई। वादग्रस्त कृषि भूमियों में स्व0 हरजी से प्राप्त होने एंव हरजी के उनके चारों पुत्रों क्रमशः देवा, खेमा, गिरधर, व मोडा, होने से तथा मोडा के वादीगण एंव शंकरलाल के विधिक वारिसान होने से वादग्रस्त कृषि भूमिया में मोडा जी का हिस्सा 1/4 की हिस्सा 1/20 या निहित है। तद्नुसार हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अकिंत किया जावे। यह कि प्रतिवादी संख्या 01 स्व शंकर जी की विधवा है एंव शंकरजी की मृत्यु दिनांक 22.08.2025 की हो चुकी है तथा शंकरजी के कोई विधिक वारिसान नहीं है जिससे उक्त सम्पुर्ण सम्पतियों को विरासत के आधार पर उसके नाम पर करवाकर अन्य व्यक्तियों को विकय करने की धमकिया दे रहे है। चूंकि वर्तमान में राजस्व जमाबंदी में वादग्रस्त कृषि भूमियां शंकर पिता मोडा के नाम पर अकिंत होने से एवं प्रतिवादी संख्या 01 स्वं मोडाजी की पत्नी होने से एवं प्रथम अनुसुचि की वारिस होने के आधार पर अपने नाम पर कराने को उतारू है। तत्पश्चात वादग्रस्त कृषि भूमियों को विकय करने पर आमदा है यदि प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमिया विरासत के आधार पर अपने नाम पर अकिंत कराकर विकय कर देती है। तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति नकदी में संभव नही है, तथा अनावश्यक वाद बाहुल्यता बढ़ेगी। यह कि वादीगण के द्वारा स्व0 मोंडाजी की सम्पतियों एवं उनके हिस्से तक की खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गयी है जिससे वादग्रस्त भूमियों में जो हिस्सा स्व0 मोडा का एंव उनकी मृत्यू के उपरान्त केंवल मात्र शंकर जी के नाम पर अंकित हुआ उन्ही हिस्सों में वादीगण का हिस्सा चाहा गया है जिससे संयुक्त जमाबन्दी में अन्य खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है, क्योकि यदि अन्य संयुक्त खातेदारान को पक्षकार प्रतिवादियों

कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

के रूप में संयोजन किया जाता है तो उक्त वाद के विचारण में अनावश्यक उलजन एवं विलम्ब कारित होगा एवं अन्य पक्षकारों को भी अनावश्यक रूप से विचारण का सामना करना पडेगा जबकि उनके हितों पर कोई विपरित असर उनके पक्षकार नहीं बनाए जाने से पडेगा तथा न ही वादीगण ने संयुक्त अन्य खातेदारान के विरूद्ध कोई सहायता ही चाही गयी है। यह कि वादीगण का हेतुक दिनांक 05.09.2025 को प्रतिवादी सख्या 01 ने वादग्रस्त जमीन अपने नाम पर करने एंव तत्पश्चात उनको विकय करन की धमकिया दी गई तब वादीगण ने वादग्रस्त भूमियों के संबंध में जमाबंदी एंव आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध किये तब उनको पता चला की वादग्रस्त कृषि भूमियों में उनका नाम अंकित नही है, जिससे वादीगण का वाद हेतुक दिनांक 05.09.2026 से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है। यह कि वादग्रस्त कृषि भूमिया ग्राम ढीली पटवार हल्का बनेडिया तहसील रेलमगरा में स्थित होने से तथा वादीगण द्वारा कृषि भूमियोंके सम्बंध में खातेदारी अधिकार एवं स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता चाही गयी है जिस उक्त वाद का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार आप न्यायालय को अभिप्रेत है।

अतः निवेदन है कि वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमियों में वादपत्र मे वर्णित तथ्यो के आधार पर प्रत्येक वादीगण का 1/20 वा हिस्से तक खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री प्रदान की जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलब किए गए। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुऐ। बावजूद सूचना अनुपस्थित। बार – बार आवाज दिलवाई गई। बावजूद सूचना अनुपस्थित।इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। वादीगण की और से साक्ष्य में साक्ष्य वादी के शपथ पत्र पीडब्ल्यू – 01 मोहनी बाई तथा पीडब्ल्यू – 02 प्यारी बाई द्वारा वाद में विवादग्रस्त आराजीयात का विवरण साक्ष्य वादी में शपथ पत्र में करते हुए बयान कलम बंद कराये । जिसमें वादग्रस्त जमीन की वर्तमान जमाबंदी प्रतिलिपि प्रदर्श 01 ये 05 है। उक्त आराजीयात का मिलान खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 6 से 19 है। तथा मेवाड सेटलमेंट की जमाबंदी प्रदर्श 20 से 25 है। इद्राज खसंरा पत्रक 113 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 26 है, वादीगण के अधिवक्ता की बहस सूनी गई। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वाद वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादीगण को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का 1/20 हिस्से की डिक्री प्रदान करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

पत्रावली एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, वादीगण के अधिवक्ता की बहस एवं साक्ष्य में प्रस्तुत वादीगण के शपथ पत्र आदि का अवलोकन से जाहिर आया कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

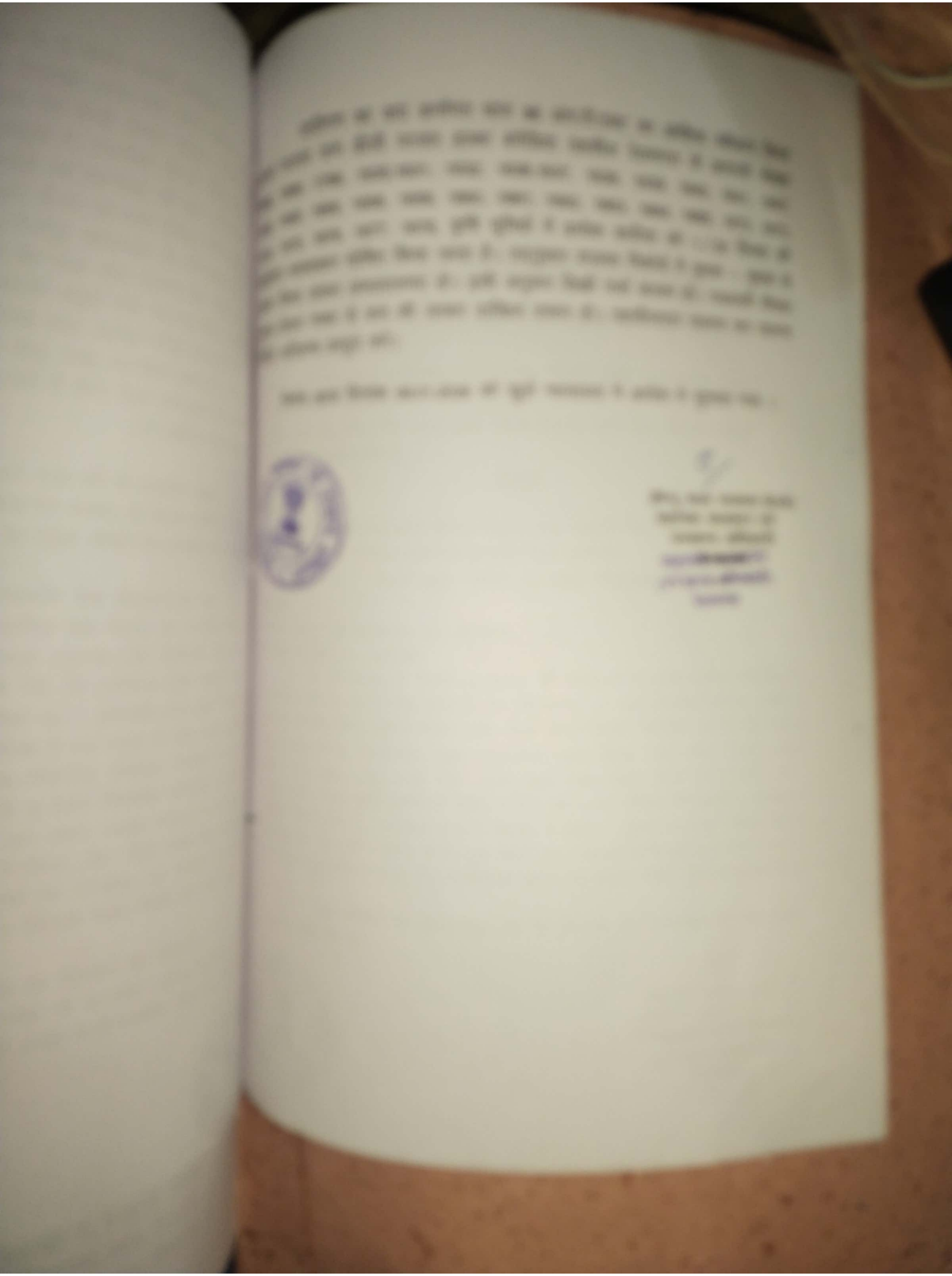

वादीगण का वाद अर्न्तगत धारा 88 आर.टी.एक्ट का आंशिक स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम ढीली पटवार हल्का बनेडिया तहसील रेलमगरा के आराजी संख्या 1698, 1699, 1788, 1635,1631, 1632, 1636,1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1647, 1656, 1668, 1669, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, कृषि भूमियों में प्रत्येक वादीया को 1/20 हिस्सा की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकोर्ड में पृथक – पृथक से अंकन किया जाकर अमलदरामद हो। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। तहसीलदार पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2026 को खुले न्यायालय मे आदेश मे सुनाया गया ।

(बिन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अतिंम डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या– 132/2025 **वाद पत्र**

अनवान

वादीपक्ष :–

1. मोहनीबाई पिता मोडा पत्नि जालम जाति बैरवा निवासी ढीली, हाल भूपालसागर तहसील भूपाल सागर चितौडगढ़
2– प्यारीबाई पिता मोडा पत्नि भंवरलाल जाति जटिया निवासी ढीली, हाल करोली तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद
3– बदामी बाई पिता मोडा पत्नी मांगू जाति जटिया निवासी ढीली, हाल मोगाना तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद
4– सोसरबाई पिता मोडा पत्नि रूपा जाति जटिया निवासी ढीली, हाल मोगाना तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद

बनाम

प्रतिवादीपक्ष :–

1– सायरी पत्नि शंकरलाल जाति जटिया निवासी ढीली तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमंद

वादः बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित
वादी की ओर से श्री मुकेशचन्द्र शर्मा, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से– अनुपस्थित

मे इस आशय में दिनांक 26.02.202 की न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है, कि वादियागण का वाद अन्तर्गत धारा 88, आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम ढीली पटवार हल्का बनेडिया के आराजी संख्या 1698, 1699, 1788, 1635,1631, 1632, 1636,1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1647, 1656, 1668, 1669, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, कृषि भूमियों में प्रत्येक वादीया को 1/20 हिस्सा की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकोर्ड में पृथक – पृथक से अंकन किया जाकर अमलदरामद हो। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। तहसीलदार पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे।

आज दिनांक को 08.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर लगाकर जारी की गई।

(बिन्दूबाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
सहायक कलक्टर एवं
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा